न्यायालय श्रीमान् म0प्र0 रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर खण्डपीठ

रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) प्रकरण क्रमांक R.1278-दो/14

01.बेवा संतोष कुमारी शुक्ला पत्नी स्व0 रामनरायण शुक्ला

02.प्रेमलता

03.पुष्पलता दोनो पिता स्व0रामनारायण शुक्ला,सभी निवासी ग्राम कोनिया तहसील बिरसिंहपुर वृत्त जैतवारा जिला सतना म0प्र0-----------------------------------निगराकार गण

बनाम

राजकिशोर शुक्ला तनय श्री लक्ष्मीप्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम कोनिया तहसील बिरसिंहपुर वृत्त जैतवारा जिला सतना म0प्र0-----------------------------------गैर निगराकार

निगरानी विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त जैतवारा तहसील बिरसिंहपुर जिला सनता म0प्र0 के राजस्व प्र0क्र030ए6/11-12 में पारित आदेश दिनांक 15.10.2013

मान्यवर,

आवेदिका निगराकार गण द्वारा उक्त उन्मान की निगरानी श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है :-

(01):- यह कि आवेदिका/निगराकार गण ग्राम कोनिया तहसील बिरसिंहपुर वृत्त जैतवारा जिला सतना म0प्र0 की पुस्तैनी निवासी हैं। तथा कृषि कार्य कर जीवन यापन करती है।

(02):- यह कि आवेदिका विवादित आराजी नं0 430/1, 431, रकवा कमशः 1.24ए0 एवं 0.38ए0 के अंश भाग कमशः रकवा 0.23ए0, 0.08ए0 वाके मौजा कोनिया तहसील

सन्तोषकुमारी

(3)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 1278-II/14 जिला सतना

सन्तोष कुमारी विरूद्ध राजकिशोर शुक्ला

1	2	3
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री कामता प्रसाद गुप्ता अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~तहसीलदार~~/ नायब तहसीलदार तहसील बिरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 30/A6/11-12 में पारित आदेश दिनांक 15-10-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25-03-19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	